



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : 0141- 2706577-78 फ़ैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.in




क्रमांक : एफ4()भण्डार/IGPRS/2022/ 4985-87

दिनांक: 18/10/24

.....
.....
.....

विषय :- संस्थान पुस्तकालय की पुरानी रद्दी को नीलाम करने के लिए दरे प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में ।


उपरोक्त विषयान्तर्गत संस्थान में उपलब्ध पुरानी रद्दी (समाचार पत्र/पत्रिकाए एवं पुस्तके) को बेचने हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 24 के अनुसरण में अनुभवी एवं योग्य फर्मों से दरे आमंत्रित की जाती है । निविदादाता अनुसूची "अ" में अपनी दरे दिनांक 21.10.2024 को दोपहर 01.00 बजे तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे । निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओ पर विचार नहीं किया जावेगा ।


(रामस्वरूप)

अतिरिक्त निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. सहायक प्रोग्रामर उक्त निविदा प्रपत्र को विभागीय बेवसाईट www.igprgvs.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावे ।
2. कार्यालय नोटिस बोर्ड, संस्थान ।



प्रभारी अधिकारी (पुस्तकालय)

संस्थान पुस्तकालय की पुरानी रद्दी को नीलाम करने के लिए दरे प्रस्तुत

क्र.सं.	रद्दी का विवरण	दर (प्रति कि.ग्रा)
1.	समाचार पत्र	
2.	समाचार पत्रिकाए रंगीन	
3.	पुस्तके	

बोली हेतु आवश्यक दिशा निर्देश :-

1. L-1 फर्म का निर्धारण प्रति इकाई अधिकतम बोलीदाता फर्म के आधार पर किया जावेगा ।
2. बेचान किये जाने वाले सामान की मात्रा का निर्धारण वजन कांटे की पर्ची के अनुरूप होगा ।
3. बेची जाने वाली रद्दी को संस्थान के सहायक पुस्तकाध्यक की उपस्थिति में श्रेणी अनुसार पृथक-पृथक किये जाने का कार्य फर्म द्वारा किया जावेगा ।
4. फर्म को संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान पृथक से नहीं किया जावेगा ।
5. फर्म द्वारा बेची गयी रद्दी को स्वयं से स्तर से हटाया जावेगा जिसके लिए संस्थान द्वारा मजदुर उपलब्ध नहीं करवाये जावेंगे ।
6. रद्दी सामान हटाने के बाद स्थान की साफ-सफाई करवाने की जिम्मेदारी फर्म की होगी ।


अतिरिक्त निदेशक